मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च–मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1998 (चैत्र 11, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (क्रमांक 26 सन् 1976) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1996–97 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रामजी महाजन, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 18 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–23–5–97–चौवन–1, दिनांक 15 सितम्बर, 1997 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1997–98 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बच्चन नायक, खुमानसिंह शिवाजी, रामलखन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर नये जिलों के गठन की कार्यवाही न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रभुसिंह ठाकुर, सदस्य, सागर जिले की बीना ताप विद्युत परियोजना हेतु कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का वक्तव्य

श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), दिनांक 20 मार्च, 1997 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 93 (क्रमांक 7773) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बी.आर. यादव, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि–उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 9 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. अशोक साबले, सदस्य, द्वारा दिनांक 23 मार्च, 1998 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा .....(क्रमशः)

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ है."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 31 मार्च, 1998